(59)
(1)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

5415

क्र. / योजना / एनआर–1 / एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 30*04*10 / /2010

इस विषय पर पूर्व में जारी आदेश क्र. 1, आदेश क्र. 2 एवं आदेश क्र. 3 जारी किए गए है।
आदेश क्र. 1 – (3695 दिनांक 16.4.2010) एवं आदेश क्र. 2 (3697 दिनांक 16.4.2010

आदेश क्रमांक 04

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त

2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान – स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबंध।

1. प्रस्तावना :

उपरोक्त विषय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस आदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं से माइक्रोप्लान बनवाने एवं आंशिक क्रियान्वयन हेतु अनुबंध का प्रपत्र संलग्न है।
अनुरोध है कि इस आदेश को गार्ड नस्ती में रखा जावे एवं पार्टनर एनजीओ के बीच इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकें।

1.1 पार्टनर एनजीओ की सूची –

अ. इस आदेश के साथ उन पार्टनर एनजीओ की सूची अनुलग्नक 1 पर संलग्न है, जिन्हें शासन का अनुमोदन प्राप्त है। इस सूची के आधार पर एक पार्टनर एनजीओ को अधिकतम दो जिलों एवं एक जिले में अधिकतम दो विकासखंड में कार्य सौंपा जा सकता है। एक कलस्टर में 4000–5000 हैक्टेयर अधिकतम में कार्य का रकबा होगा। इच्छुक पार्टनर एनजीओ द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक / कलेक्टर को लिखित में आवेदन देना होगा और इस आवेदन के साथ वचन पत्र देना होगा कि उनके द्वारा उपचार के लिए कुल रकबा दो जिलों तक सीमित है। चयनित ग्राम समूहों में एक समूह राजीव गांधी जलग्रहण मिशन के जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत नदी पुर्नजीवन कार्यक्रम के

(50)

चयनित नदी / नाले के कैचमेंट में अनिवार्य रूप से पार्टनर एनजीओ कार्य करेगा।

ब. यदि किसी आवंटित जिले में पार्टनर एनजीओ माइक्रोप्लान लेने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में शासकीय पीआईए को माइक्रोप्लान का दायित्व सौंपा जा सकेगा।

1.2 **पार्टनर एनजीओ द्वारा संस्थागत व्यवस्था –**

पार्टनर एनजीओ द्वारा प्रत्येक जिले के आवंटित क्षेत्र के लिए पीआईए का गठन किया जावेगा। इस दल में परियोजना अधिकारी सहित 04 सदस्य होंगे। इन सदस्यों की पृष्ठभूमि तकनीकी (कृषि जल संसाधन, भूजल शाखा, वन इत्यादि) होगी और वे पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे। यदि कोई सदस्य कार्य छोड़कर जाता है तो उसके स्थान पर नई नियुक्ति की जावेगी और उसकी सूचना जिला पंचायत सहित परिषद् को निर्धारित प्रपत्र (आदेश क्र. 2 अनुलग्नक 3) में दी जावेगी।

1.3 **पार्टनर एनजीओ द्वारा अनुबंध का निष्पादन –**

चयनित पार्टनर एनजीओ द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ अनुबंध का निष्पादन करना होगा। अनुबंध का प्रारूप अनुलग्नक 2 पर संलग्न है। अनुबंध के साथ उन्हें रुपया एक लाख की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। माइक्रोप्लान के लिए वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख आदेश क्र. 2 (3697 दिनांक 16.4.2010) एवं संलग्न अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 12.3 एवं 12.4 में उल्लेखित है।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 9516 / योजना / एनआर–1 / एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 20/04/2010

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन की ओर सूचनार्थ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक 1

शासन द्वारा स्वीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) की सूची

	स्वयं सेवी संस्था का नाम	जिला 1	जिला 2	जिला 3
1.	प्रदान (प्रोफेशनल एसोसिएट्स फॉर डेव्हलपमेंट एक्शन)	बैतूल	सिंगरौली	डिन्डोरी
2.	ईको डेवलपमेंट सोलूशन्स सोसायटी	धार	रायसेन	–
3.	ईकोसेक (सोसायटी फॉर इन्वायरमेंटल एण्ड सोशल अवेहयरनेस)	रीवा	गुना	–
4.	स्वामी विवेकानंद पर्यावरण एवं सामाजिक उत्थान संस्थान	बड़वानी	भोपाल	–
5.	एन.एम.सद्गुरू वाटर एण्ड डेव्हलपमेंट फाउण्डेशन, राजस्थान	मंदसौर	–	–
6.	आसा (एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट)	टीकमगढ़	अलीराजपुर	–
7	कार्ड (सेन्टर फॉर एडवांस रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट)	उज्जैन	शाजापुर	–
8.	एन.सी.एच.एस.ई. (राष्ट्रीय मानव बसाहट एवं पर्यावरण केन्द्र)	झाबुआ	होशंगाबाद	–
9.	भारत (आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम)	खंडवा	बुरहानपुर	–
10.	बायपास (भोपाल युवा पर्यावरण शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान)	सिवनी	राजगढ़	–
11.	एफडीआरए (फाउण्डेशन फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च एण्ड एक्शन)	मुरैना	शिवपुरी	–
12.	ग्रामीण विकास ट्रस्ट	रतलाम	नीमच	–
13.	पर्यावरण संरक्षण एवं आदिवासी विकास केन्द्र (सेन्टर फॉर रूरल बायो टेक्नोलॉजी)	कटनी	जबलपुर	–
14.	बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउन्डेशन	ग्वालियर	दतिया	हरदा
15.	समाज प्रगति सहयोग	इन्दौर	खरगौन	–
16.	विभावरी	पन्ना	देवास	–
17.	एसोसियेशन फॉर कम्युनिटी ट्रान्सफॉरमेशन	छिंदवाडा	मंडला	–
18.	सृजन	विदिशा	दमोह	–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 4844 / योजना / एन.आर.-1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 12/5/2010

प्रति,

1. जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के संबंध में।

संदर्भः कार्यालय का आदेश क्र. 3695 एवं आदेश क्र. 3697 दिनांक 16.4.2010 व आदेश क्र. 4413 एवं आदेश क्र. 4415 दिनांक 30.4.2010

— — — — —

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। पूर्व में ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के संबंध में आदेश क्र. 1 से 4 प्रेषित किए जा चुके है। आदेश क्र. 4 जो कि स्वयं सेवी संस्थाओं से अनुबंध के संबंध में है। अनुबंध का प्रारूप संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Ruhi 12/5/10

(रूही खान)
उपायुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

जावक नं. 4844
दिनांक 12.05.10
प्रमुख लिपिक हस्ताक्षर

Letter AKS 2010 New

(63)

(2)

अनुलग्नक क्र. 2

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के कार्यान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के साथ अनुबंध–पत्र

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (जिसे इसमें अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक कहा गया है) तथा स्वयंसेवी संस्था (जिसे इसमें एन.जी.ओ. कहा गया है) की कार्यकारिणी के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के बीच विस्तृत परियोजना बनाने, स्वीकृत कराने, सुपरविजन करने तथा क्रियान्वयन के लिये आज दिनांक ..... को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए यह अनुबंध निष्पादित किया जाता है–

1. **अनुबंध की अवधि :** यह अनुबंध दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने की तिथि से लागू होगा और इसकी अवधि 03 वर्ष अथवा परियोजना की पूर्णता, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी। किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध समाप्ति की स्थिति में संस्था द्वारा सभी शासकीय दस्तावेजों, धनराशियों एवं समस्त संबंधित अभिलेख को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को वापिस करना अनिवार्य होगा।

   मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् (जिसे इसमें परिषद कहा गया है) की सहमति से जिला कलेक्टर (जिसे इसमें जिला कार्यक्रम समन्वयक कहा गया है) द्वारा इस अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुरूप संशोधित किया जा सकेगा।

2. **कार्यक्षेत्र :** संस्था के द्वारा स्थापित फील्ड आफिस का कार्यक्षेत्र .....(चयनित क्षेत्र) विकासखण्ड..... जिला..... होगा।

3. **कार्य का स्वरूप :** संस्था के अधिकृत परियोजना अधिकारी द्वारा संपादित किए जाने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियाँ परिषद्/जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशों के अनुसार ही होंगे और अधिकृत परियोजना अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्था जिम्मेदार होंगी।

   संस्था के अधिकृत परियोजना कियान्वयन दल (जिसे इसमें पी.आई.ए. कहा गया है) द्वारा किये जाने वाले कार्यों/गतिविधियों का स्वरूप निम्नानुसार होगा–

   (1) पीआइए को परिषद/शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान (जिसे आगे कार्ययोजना कहा गया है), तैयार करना होगा। पीआइए द्वारा कुआ, सड़क व सामुदायिक तालाब (निस्तार एवं परकोलेशन) निर्माण के कार्यों को छोड़कर शेष कार्य संपादित करने होंगे। ये सभी कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (क्र. 42 सन् 2005) (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है।) के प्रावधानों के अनुसार किये जावेंगे। पी.आई.ए. द्वारा कुओं, सड़कों तथा सामुदायिक तालाबों (निस्तार एवं परकोलेशन) के निर्माण में ग्राम पंचायत को आवश्यक सभी तकनीकी एवं वांछित सहयोग प्रदान किया जावेगा।

(2) पी.आई.ए. द्वारा पंचायत पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों की क्षमता के विकास के लिए परिषद के निर्देशानुसार दायित्वों का निवहन करना होगा एवं पी.आई.ए. को परिषद / शासन के निर्देशानुसार अनुश्रवण कराना होगा।

(3) पी.आई.ए. द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को विभिन्न तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सलाह एवं सहयोग प्रदान करना होगा और वे जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

(4) संस्था को परियोजना का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिये आवंटित क्षेत्र में पी.आई.ए. के लिये कार्यालय स्थापित करना होगा। प्रशासकीय मद में उपलब्ध राशि से इस कार्यालय में सभी आवश्यक प्रशासकीय एवं कार्यालयीन व्यवस्थाएँ करनी होगी।

(5) परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी एवं पीआईए के तकनीकी अमले के सहयोग से निर्देशित उपयुक्त विधाओं का उपयोग कर लक्ष्य आधारित एवं परिणाम मूलक कार्ययोजना का निर्माण तथा उसका संबंधित ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर जिला कार्यक्रम समन्वयक से स्वीकृति प्राप्त करना होगी। इस अनुक्रम में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 15 महिलाओं का समूह गठित किया जावेगा एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

(6) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कराना होगा। सामाजिक अंकेक्षण में उपरोक्त महिला समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

(7) स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय समाज के कौशल विकास एवं क्षमता वृद्धि के लिये परिषद/जिला कार्यक्रम समन्वयक/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्देशित व्यवस्था लागू करना होगी।

(8) परिषद/जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार संबंधितों का प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित कराना होगा।

(9) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परियोजना का नियमित मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिलेखीकरण का कार्य सुनिश्चित करना होगा। परिषद/ जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अधिकृत बाह्य संस्था द्वारा सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों में वांछित सहयोग प्रदान करना होगा।

(10) परियोजना अवधि में निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं उनके रख–रखाव के लिये निर्धारित व्यवस्था का संस्थापन सुनिश्चित कराना होगा। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक्जिट प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए परिसम्पत्तियों के संचालन/रख–रखाव हेतु निर्देशित व्यवस्था अनुसार जिम्मेदारी सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

(11) राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सियों से रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग द्वारा मूल्यांकन करने में अधिकृत एजेन्सियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(12) जिला पंचायत द्वारा समय–समय पर मांगी गई जानकारी को तय समय–सीमा में सभी संबंधितों को उपलब्ध करावेंगे।

(13) भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से संबंधित जानकारी एकत्रित कर उसे नियमित रूप से एम.आई.एस. द्वारा सभी संबंधितों को प्रेषित करावेंगे।

(14) कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के लिए निर्धारित व्यवस्थानुसार किश्तों के प्रस्ताव बनाकर जिला कार्यक्रम समन्वयक को समय–समय पर प्रस्तुत करेंगे।

(15) कार्य योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन/निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत करेंगे।

(16) पी.आई.ए. को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

(17) कार्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित कार्यों को शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्मिलित कराना होगा।

4. जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से संस्था द्वारा पी.आई.ए. सदस्यों के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों एवं प्रोजेक्ट प्रभारी की सूची, उनके अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जानकारी सहित परिषद को उपलब्ध करायी जावेगी। बदले गये पीआईए सदस्य/सदस्यों की स्थिति में उनके उपरोक्त विवरण की जानकारी से जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं परिषद् को अवगत कराया जावेगा।

5. पी.आई.ए. को इस अनुबंध के अर्न्तगत सौंपे समस्त कार्यों को स्वयं सम्पन्न करना होगा। कार्ययोजना से संबंधित किसी भी कार्य को (पूरा अथवा आंशिक) किसी अन्य संस्था को नहीं सौपा जावेगा।

6. यदि पी.आई.ए. द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा सौंपे गये कार्य उस गुणवत्ता का सम्पन्न नहीं किया है, जो होना चाहिए या कार्य/कार्यों को परियोजना की निर्धारित समय–सीमा में बिना उपयुक्त कारण के सम्पादित नहीं किया जाता है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक परिषद की अनुमति से इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए सक्षम होगा।

7. पी.आई.ए. द्वारा सम्पादित गतिविधियों का नियमित निरीक्षण, समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिषद/जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा। पी.आई.ए. द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रगति की जानकारी तथा अन्य चाही गई समस्त जानकारी परिषद, जिला कार्यक्रम समन्वसक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. एक माह का नोटिस देकर संस्था अनुबंधित कार्य को छोड सकेगी परंतु कार्य छोड़ने के पूर्व, किये गये कार्यो संबंधी समस्त ब्यौरें, अभिलेख, व्यय विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारियां परिषद् द्वारा निर्धारित अन्य संस्था को सौंपनी होगी। इस प्रकिया के बाद ही संस्था कार्य छोड़ सकेगी।

9. पी.आई.ए. द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार की रिपोर्ट/अभिलेख या राशि का माँग पत्रक इत्यादि का अनुमोदन/निराकरण, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा एक माह के भीतर किया जावेगा।

10. **वित्त प्रवाह की व्यवस्था :–**

(1) पी.आई.ए.को निर्माण कार्य की 5 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय के मद से देय होगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पी.आई.ए.को सीधे ही, कार्य एवं प्रशासनिक व्यय हेतु, राशि प्रदाय की जायेगी।

(2) माइक्रोप्लान तैयार करने के लिये, परियोजना लागत के 1 प्रतिशत की सीमा के अधीन या 60 हजार रूपया प्रति 500 हेक्टेयर की दर से राशि प्रदान की जावेगी परन्तु देय राशि उपरोक्त दोनों में जो भी कम हो, प्रदाय की जावेगी। यह राशि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रशासनिक व्यय की गतिविधि (Quality supervision activities) की उप–गतिविधि (Hiring Professionals for Technical Support) पर भारित (Charged) होगी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा पी.आइ.ए को जारी की जावेगी।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्ययोजना तैयार करने हेतु देय राशि की 50 प्रतिशत राशि अनुबन्ध के निष्पादन के तत्काल बाद निर्गमित की जावेगी। अनुबंध निष्पादन के डेढ़ माह बाद 30 प्रतिशत एवं शेष 20 प्रतिशत राशि कार्ययोजना स्वीकृति के उपरांत एक माह की अवधि में प्रदान की जावेगी।

11. विकास कार्यों के लिए राशि जारी करने की प्रक्रिया :

(1) कार्ययोजना को 3 वर्ष की अवधि में, राशि कुल 06 किश्तों में जारी की जावेगी। प्रथम वर्ष के पहले 6 माह में किए जाने वाले विकास कार्यों, जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, के लिए प्रथम किश्त की अग्रिम राशि जारी की जावेगी। इस किश्त के 60 प्रतिशत के उपयोग उपरांत पी.आई.ए. द्वारा नवीन किश्त जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में माँग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत की जावेगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला रोजगार गारंटी निधि खाते से, स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार, राशि अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर पी.आई.ए. के खाते में जमा कराई जावेगी। यही प्रक्रिया शेष 05 किश्तों के लिए भी अपनाई जावेगी।

(2) पी.आई.ए. द्वारा कार्य संपादित करने के लिए परिषद् द्वारा अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक–पृथक दो खाते खोलने होंगे। इसमें से एक खाते में कार्य की राशि एवं दूसरे खाते में पी.आई.ए. को देय प्रशासनिक मद की राशि जमा की जावेगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इन दोनों ही खातों में सीधे राशि प्रदाय की जायेगी। पी.आई.ए. को इन दोनों ही खातों का पृथक–पृथक हिसाब रखना होगा और नियमानुसार उनका लेखांकन करना होगा। इन दोनों ही खातों एवं तत्संबंधी अभिलेखों का अवलोकन परिषद् की ओर से प्राधिकृत सक्षम अधिकारी समय–समय पर कर सकेंगे।

(3) संबंधित पी.आई.ए. को अनुबंध के साथ एक लाख रूपये की बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास जमा करानी होगी। कार्य की समाप्ति के उपरांत अधिकतम 06 माह में यह बैंक गारंटी संस्था को वापस की जावेगी।

(4) संबंधित पी.आई.ए. द्वारा यदि किसी भी प्रकार से शासकीय धन का दुरूपयोग किया गया है या अमानत में खयानत की है या शासकीय धन या सम्पत्ति का नुकसान, दुर्विनियोजन आदि वित्तीय अपराध किये गये हैं तो संस्था के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(5) प्रत्येक कार्य को माइक्रोप्लान में वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार संपादित करने का उत्तरदायित्व पी.आई.ए. का होगा। यदि इस कार्य में चूक या त्रुटि सिद्ध होती है तो परिषद् की अनुमति से कार्य को निर्धारित मापदंण्डों के अनुरूप ठीक कराया जायेगा एवं उस पर हुए व्यय की राशि एवं निर्धारित दाण्डिक धनराशि की वसूली संबंधित पी.आई.ए. से की जावेगी।

(6) यदि पी.आई.ए. ने ऐसे कारण या परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं जिनके कारण शेष कार्यों को अन्य किसी संस्था या विभाग से कराना अपरिहार्य होगा तो ऐसी स्थिति में संस्था के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

12. माइक्रोप्लान से संबंधी भुगतान व्यवस्था :—

अधिनियम के प्रावधानानुसार अकुशल श्रमिक की मजूदरी का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जाना होगा। साथ ही कार्य का एमआईएस भी अनिवार्य रूप से कराना होगा। अकुशल श्रमिक की मजदूरी के अलावा अन्य सभी भुगतान बैंक के माध्यम से कराना होगा।

13. निर्माण कार्य संबंधी लेखा परीक्षण व्यवस्था :—

(1) कार्यो का अंकेक्षण, वैधानिक आडिट—महालेखाकार एवं अन्य संस्थागत आडिट एजेंसियों द्वारा कराना। लेखा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पी.आई.ए. की होगी।

(2) रोजगार गारंटी के कार्यों का मूल्यांकन परिषद् के निर्देशानुसार किया जावेगा। इन समस्त गतिविधियों में पी.आई.ए. द्वारा आवश्यक सहयोग दिया जायेगा।

(3) प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण पत्र, एक्जिट प्रोटोकॉल, मस्टररोल, एमबी अभिलेखों का संधारण एमजीएनआरईजीएस के अनुसरण में समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

14. संशोधन — जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं संस्था की सहमति से इस अनुबंध पत्र में संशोधन परिषद् की अनुमति उपरांत किया जा सकेगा।

15. अनुबंध का समापन : कार्य पूर्ण होने पर इस अनुबंध में वर्णित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध को एक माह के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। अनुबंध समाप्ति की स्थिति में शासकीय दस्तावेजों के सुरक्षित रखे जाने के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन किया जावेगा।

(7)

16. विवाद की स्थिति में प्रकरण प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को बतौर मध्यस्थ (Arbitrator) संदर्भित किया जायेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।

यह अनुबंध आज दिनांक .....को उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच निम्न गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित किया जाता है।

स्वयंसेवी संस्था का अधिकृत
प्रतिनिधि का नाम एवं अन्य विवरण

(अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक)
जिला पंचायत .....

गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता

1. .....

2. .....

गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पूरा पता

1. .....

2. .....

(68)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 5358 /योजना/NR–1/MGNREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 26/05/2010

// संशोधित आदेश //

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला – विदिशा, सीहोर, दमोह, धार एवं नीमच
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत – विदिशा, सीहोर, दमोह, धार एवं नीमच
   मध्यप्रदेश

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान – स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबंध के संबंध में आदेश क्रमांक 04 में आंशिक संशोधन।**

संदर्भः प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 4415 दिनांक 30.4.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा आदेश क्रमांक 4 जारी किया गया था। इस आदेश में पार्टनर एनजीओ की सूची संलग्न की गई थी। पार्टनर एनजीओं को जारी आवंटित जिले में आंशिक संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है:–

स्वयं सेवी संस्था का नाम	पूर्व में जारी आवंटित जिला	संशोधित आवंटित जिला
1. सृजन	विदिशा एवं सीहोर	विदिशा एवं दमोह
2. एन.एम.सद्गुरू वाटर एण्ड डेव्हलपमेंट फाउण्डेशन, राजस्थान	मंदसौर एवं नीमच	मंदसौर
3. ग्रामीण विकास ट्रस्ट	रतलाम एवं धार	रतलाम एवं नीमच

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

CEO Letter II 2010

क्र.5359/योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 26/05/2010

प्रतिलिपि :–

1. सभागायुक्त कार्यालय संभाग भोपाल, सागर एवं उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन की ओर सूचनार्थ।

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 6138 / योजना / NR–1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 18/06/2010

// संशोधित आदेश //

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला – डिंडौरी, ग्वालियर, दतिया एवं हरदा
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत – डिंडौरी, ग्वालियर, दतिया एवं हरदा
   मध्यप्रदेश

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान – स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुबंध के संबंध में आदेश क्रमांक 04 में आंशिक संशोधन।

संदर्भ: प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 4415 दिनांक 30.4.2010

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा आदेश क्रमांक 4 जारी किया गया था। इस आदेश में पार्टनर एनजीओ की सूची संलग्न की गई थी। पार्टनर एनजीओं को जारी आवंटित जिले में आंशिक संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है:–

स्वयं सेवी संस्था का नाम	पूर्व में जारी आवंटित जिला	आवंटित अतिरिक्त जिला
1. प्रदान	बैतूल एवं सिंगरौली	डिंडौरी
2. बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउन्डेशन	ग्वालियर एवं दतिया	हरदा

(शिव शेखर शुक्ला) 7/6/10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल

क्र. 6139 / योजना / एनआर–1 / एनजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 18/06/2010

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त कार्यालय संभाग नर्मदापुरम्, रीवा, शहडोल एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन की ओर सूचनार्थ।

13/6/10

(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
मुख्यालय, भोपाल